

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022020-216165

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 651] No. 651] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 14, 2020/माघ 25, 1941

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 2020/MAGHA 25, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2020

का.आ. 714(अ).—केंद्र सरकार, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 54 के परंतुक द्वारा प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित निर्माताओं को, उक्त नियमों के नियम 55 में विहित प्रक्रिया को अपनाते हुए उक्त नियमों के साथ संलग्न फार्म संख्या 4क में जारी आयात प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी शर्तों के अध्यधीन निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाली मार्फिन, कोडीन, थिबेम और उनके लवणों के आयात की अनुमित है, अर्थात:-

तालिका

क्र.सं.	निर्माताओं का नाम और पता
(1)	(2)
1.	मैसर्स एडकॉक इनग्राम लिमिटेड, 49-सी और डी, बोम्मासांडा इंडस्ट्रियल एरिया, अनैकल तालुक, बेंगलुरु-560099
2.	मैसर्स रसन फार्मा लिमिटेड, 58-डी, सरकारी औद्योगिक एस्टेट, चारकोप, कांदिवली (डब्ल्यू), मुंबई-400067
3.	मैसर्स सानोफी इंडिया लिमिटेड, डी-2, यूनिट संख्या 5 और 6, सेकन्ड फ्लोर, दक्षिण पार्क, साकेत जिला केन्द्र, नई दिल्ली-110017.

4.	मैसर्स सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक्मे प्लाजा, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059
5.	मैसर्स वर्व ह्यूमनकेयर लेबोरेटरीज, प्लॉट नंबर 15-ए, फार्मासिटी, सेलाक्वी, देहरादून, उत्तराखंड-248011.
6.	मैसर्स वॉकहार्ट लिमिटेड, वॉकहार्ट टावर, बान्डरा कुर्ला कमप्लेक्स, मुंबई400051.

2. यह अधिसूचना, इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी और 31.12.2022 तक लागू रहेगी।

[फा. सं. एन-11012/1/2013-एनसी-II] विश्वजीत सरकार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2020

S.O. 714(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to rule 54 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby notifies that the manufacturers mentioned in the Table below are permitted to import morphine, codeine, thebaine and their salts for use in manufacture of products to be exported, after following the procedure specified in rule 55 of the said rules and subject to such conditions as may be specified in the import certificate issued in Form No. 4A annexed to the aforesaid rules, namely:—

Sl. No.	Name and Address of manufacturers
(1)	(2)
1.	M/s. Adcock Ingram Limited, 49-C and D, Bommasandra Industrial Area, Anekal Taluk, Bangalore-560099.
2.	M/s. Rusan Pharma Ltd., 58-D, Government Industrial Estate, Charpok, Kandivali (W), Mumbai-400067.
3.	M/s. Sanofi India Limited, D-2, Unit No. 5 and 6, 2 nd floor, Southern Park, Saket District Centre, New Delhi-110017.
4.	M/s. Sun Pharmaceuticals Industries Ltd. Acme Plaza, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai-400059.
5.	M/s. Verve Human Care Laboratories, Plot No. 15-A, Pharmacity, Selaqui, Dehradun-248011 Uttrakhand.
6.	M/s. Wockhardt Limited, Wockhardt Towers, Bandra Kurla Complex, Mumbai-400051.

2. This notification shall remain in force from the date of its publication in the Official Gazette till the 31st day of December, 2022.

[F. No. N-11012/1/2013-NC-II] BISWAJIT SARKAR, Under Secy.